

20/12/2022

FORM No. III
फर्द अहकाम
(नियम)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी जिला नागौर(राज0)

प्रार्थी	जीवणराम देवाराम भागीरथराम सुजाराम पि. चूनाराम कुमावत वगैरह हीराणी	
राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार कुचामनसिटी जिला नागौर		
किस्म मुकदमा प्रार्थना-पत्र धारा 131, 132 R.L.R.Act 1956 व नियम 58, 59, 60, 66, 86 राजस्थान भू-अभिलेख नियम 1957		
प्रार्थना-पत्र नम्बर 193 / 2022		GCMS No. 2022/ 410
तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
20-12-2022	राजस्थान राज्य सरकार की ओर से जरिये तहसीलदार कुचामनसिटी की ओर से प्रार्थना-पत्र धारा 131, 132 R.L.R.Act 1956 व नियम 58, 59, 60, 66, 86 राजस्थान भू-अभिलेख नियम 1957 के तहत प्रस्तुत किया। प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्टर हो। पत्रावली दिनांक 22.12.2022 को वास्ते सुनवाई/उचित आदेशार्थ पेश हो।	
22-12-2022	प्रकरण का अवलोकन किया गया। जमांबदी अनुसार भूमि संयुक्त खातेदारी में दर्ज चली आ रही है, प्रश्नगत भूमि नक्शा ट्रेस नकल अनुसार रास्ते पर स्थित है, इसलिए रास्ता का अनुतोष नहीं दिया जा सकता तथा कोई युक्तियुक्त कारण भी संबंधित पटवारी हल्का हीराणी, नि.भू.अ. पांचवा, तहसीलदार कुचामनसिटी द्वारा नहीं बताया गया है, प्रार्थना-पत्र काबिल खारिज है। अतः प्रार्थना-पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।	

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

